न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2016

चन्दूराम पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 23.12.2015

उपस्थितिः—

श्री सुरेन्द्र सुथार , अभिभाषक अपीलांट

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 03.11.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 08.09.2015 खारिज किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट ने दिनांक 30.09.2000 को चक 79 आर.डी.एल. के प.नं. 124/46 के कि.नं. 1 से 13 की भूमि विशेष आवंटन में पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश किया। प्रार्थी से 500/—रूपये पूर्व में जमा छोडकर 198922/— रूपये जमा करवाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये। उक्त राशि जमा

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करवाने हेतु तहसीलदार ने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया। प्रार्थी/अपीलांट ने अधी. न्यायालय में दिनांक 30.09.2000 की पालना में राशि जमा कराने हेतु अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया। प्रार्थी शेष राशि एकमुश्त जमा कराने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 30.09.2000 को 35 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश दिये जो अपीलांट द्वारा जमा नहीं कराये। मात्र 500/– रूपये ही जमा कराये थे। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2000 के क्रम में राशि जमा कराने हेतु प्रा.पत्र दिनांक 08.09.2015 को लगभग 15 साल विलम्ब से पेश किया। इतनी अवधि में उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई। ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 21.04.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30.09.2000 को विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया एवं 35

3/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश दिये। दिनांक 30.09.2000 की आदेशिका में प्रार्थी को सुना गया अंकित है। इसप्रकार स्पष्ट है कि आवंटन आदेश के दिन आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट उपस्थित था। उसके द्वारा दिनांक 08.09.2015 तक राशि जमा कराने हेतु कोई प्रा. पत्र पेश नहीं किया। दिनांक 08.09.2015 को लगभग 15 वर्ष पश्चात प्रा.पत्र पेश कर राशि जमा कराने हेतु अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया जो अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रा.पत्र खारिज कर दिया। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

3/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर